कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल
2, गवर्मेंट प्लेस (पश्चिम), ट्रेजरी बिल्डिंग्स, कोलकाता – 700001

ई.डी.पी. अनुभाग
कार्यालय परिपत्र

सं.EDP/80/IS Security Guidelines & Instructions/2025-26/51 **Dated: 18.12.2025**

विषय: डिजिटल डेटा का सुरक्षित प्रबंधन/ हैंडलिंग – संबंधी।

मुख्यालय पत्र संख्या 681/642/RA-INSR/GST/SSCA/2025 दिनांक 09.12.2025 को सभी संबंधितों के जानकारी/संदर्भ हेतु **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

डेटा-आधारित लेखापरीक्षा पद्धति को बढ़ते रूप में अपनाए जाने के मद्देनज़र, न्यासी (Fiduciary) दायित्व के अंतर्गत प्राप्त डिजिटल डेटा की गोपनीयता, अखंडता तथा निजता बनाए रखने हेतु समय-समय पर जारी वर्तमान प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। उक्त पत्र में विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रकाशित "डेटा गवर्नेंस एवं डेटा सुरक्षा नीति" (अनुलग्नक –II) का उल्लेख किया गया है, जिसमें डेटा के प्रबंधन/हैंडलिंग से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश/प्रोटोकॉल प्रदान किए गए हैं।

डिजिटल परिवेश में डेटा की बढ़ी हुई संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न ए.एम.जी./अनुभागों, जिनमें एल.ए.डी. भी सम्मिलित है, में पदस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अनुलग्नक –I एवं II की समीक्षा करें तथा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उल्लिखित दिशानिर्देशों/प्रोटोकॉल का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। संवेदनशील सूचना के प्रबंधन/हैंडलिंग से जुड़े सभी कार्मिकों द्वारा इन दिशानिर्देशों का सख्ती एवं सावधानीपूर्वक पालन किया जाना अनिवार्य है।

अतः संबंधित शाखा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित कार्मिक इन निर्देशों से पूर्णतः अवगत हों तथा इनका अनुपालन करें। समूह अधिकारी अपने-अपने स्तर से, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों सहित, निर्गत सभी दिशानिर्देशों/निर्देशों के कठोर अनुपालन एवं पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

यह परिपत्र सभी संबंधितों की जानकारी, अनुपालन तथा कड़ाई से पालन हेतु जारी किया जाता है तथा यह तत्काल प्रभाव से लागू है।

संलग्न: यथोपरि

//प्राधिकरण: फाइल संख्या EDP/80/IS Security Guidelines and Instructions में दिनांक 18.12.2025 को उप महालेखाकार का आदेश//

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ई.डी.पी.)

- सर्व परिचालनार्थ हेतु **(एल.ए.डी. सहित)** (मेलिंग सूची के अनुसार)
- व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु **आधिकारिक वेबसाइट** पर प्रकाशन के लिए